न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

GCMS No. 2021 / (Bank Case)
Manual no- /2021

''यूको बैंक" प्रधान कार्यालय 10 वि.त्रै. म. सरणी, (ब्रेबोर्न रोड़) कोलकाता स्थित व कार्यरत है। एवं एक शाखा कार्यालय–एम.बी.एस., नयापुरा, कोटा

— प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी श्री महेन्द्र सिंह राठौड (ऋणी)
2. श्री महेन्द्र सिंह राठौड के कानूनी वारिस–

a) श्री अजय सिंह राठौड पुत्र स्व. श्री महेन्द्र सिंह राठौड
पता– मं. नं. 1043, महावीर नगर प्रथम, ब्ल्यू बेल्स स्कूल के पास, महावीर नगर, कोटा राजस्थान

3. श्री~~मती~~ महेन्द्र सिंह राठौड की कानूनी वारिस–

b) श्रीमती इन्दू कंवर पुत्री स्व. श्री महेन्द्र सिंह राठौड (जमानती / बंधककर्ता)
पता– श्रीमती इन्दू कंवर पत्नी श्री अरविन्द सिंह शेखावत, काली पहाडी, झुंझुनू

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 12-01-2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ''यूको बैंक" प्रधान कार्यालय 10 वि.त्रै. म. सरणी, (ब्रेबोर्न रोड़) कोलकाता स्थित व कार्यरत है एवं एक शाखा कार्यालय–एम.बी.एस., नयापुरा, कोटा में स्थित है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 20.01.2016 को रुपये 24,00,000/– (अक्षरेः चौइस लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **बंधक अचल आवासीय सम्पत्ति जो कि मकान नं. 1043, महावीर नगर प्रथम, कोटा, राजस्थान पर स्थित है जिसमें भूमि , भवन व ढांचा आदि सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 1323 वर्ग फीट है जो कि श्री महेन्द्र सिंह राठौड के नाम से है। जिसकी चर्तुः सीमा उत्तर में– रोड, दक्षिण में– प्लॉट नं. 1044, पूर्व में– अन्य प्लॉट, पश्चिम में– रोड है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 31.05.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी उसके खाते मे 15,21,243.11 (अक्षरेः पन्द्रह लाख, इक्कीस हजार दो सौ तियालीस रूपये व ग्यारह पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.05.2021 तक शेष देय है (जिसमें दिनांक 24.01.2021 तक का ब्याज सम्मिलित है) एंव रूपये 19,08,405.24 दिनांक 31.05.2021 (जिसमें दिनांक 22.01.2021 तक का ब्याज सम्मिलित है) कुल रूपये 34,29,648.35 (अक्षरेः चोतीस लाख, उनतीस हजार छ सौ अडतालीस रूपये व पेतीस पैसे मात्र) दिनांक 31.05.2021 आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 19.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 19.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 19.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता की **बंधक अचल आवासीय सम्पत्ति जो कि मकान नं. 1043, महावीर नगर प्रथम, कोटा, राजस्थान पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 1323 वर्ग फीट है जो कि श्री महेन्द्र सिंह राठौड के नाम से है। जिसकी चर्तुः सीमा उत्तर में– रोड, दक्षिण में– प्लॉट नं. 1044, पूर्व में– अन्य प्लॉट, पश्चिम में– रोड है**, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 12.9.2021 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)